Name of Project: Diversion of 0.32 Ha. of Forest Land for 'Construction of RCC drain at

ward 38 (Loni Lal Bag sabji Mandi) along road side district Ghaziabad

of Uttar Pradesh State'.

To,

The PCCF,
Office of the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF),
17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (U.P.), 226001

Subject: - REPLY TO THE EDS GENERATED ON 02.03.2021 **Reference:** - Proposal No.- FP/UP/Others/123646/2021

With reference to the EDS generated on 02.03.2021 please find the point-wise reply to the same: -

Sl. No.	Essential Details Sought	Reply
1.	Upload area calculation of forest	The Area Calculation sheet is attached as
	land.	Annexure I.
2.	Forest gazette duly verified by present DFO and highlighting the proposed road.	The Forest gazette duly verified by present DFO is attached at Annexure II.
3.	Project sanction letter	The Project sanction letter is attached as Annexure III.
4.	Standard conditions	Standard conditions are attached as Annexure IV.

In view of the above, we have complied to all the EDS generated by your good office. You are requested to accept the proposal for further proceedings

Thanking You,

Place: Ghaziabad

Date: 03.03.2021

Assistant Engineer-VI
Construction Division-2 P.W.D
Ghaziabad

Ramesh Chandra Assistant Engineer Public Works Department

Ghaziabad

ANNEXURE-I [Forest Area Calculation sheet]


Name of work - Construction Of R.C.C. Drain at Lal Bagh in Tahseel Loni, Shaziabad.

Avorage Section (1.50×1.80)

Length of Drain = 1270 mtrs.

width of Drain with working Stace = 2:50 mts

Area of Drain = 1270×250 = 3175 m2 10.32 Hactore.



Assistant Engineer-VI Construction Division-2 P.W.D Ghaziabad

ANNEXURE-II [Forest gazette duly verified by present DFO]

बार और उन्हें भूमि पे और ऐसे कोई दा अहार्य, अब उपत	को, इंडियन फारेस्ट एँक्ट, रंग में अधिकारों के दावों को प्र ने स्वीकार नहीं किये ग एँक्ट की धारा २० के इ घोषित करते हैं :	स्तुत करनेके जि <i>र</i> इ	कित ऐक्ट इत्स्त कि मधोत कृत्काली, दुराज्यक	विद्य अविद्यास	गण्त हो गयी है ;	English
तहसील	परंगना गांव		क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल एकड्रों में	विशेष विधरण	
₹.	₹ 8	¥	Ę	<u>.</u>		1
गानित्रावाद } र	होती अहमद नगर नवादा व्हाक नं० १ योग	१/१६/= २/१ ६	वी० वि० वि			•
			la i	~~~~		')
	अहमद नगर ! नवादा दलाक ने	२ ६ ५ ५ २ ६ ५ ५ २ ६ ६ ५ १ ६ ६	2 68 0 2 68 0 2 68 0			
	योग .	. 8	२८ १६ ०	89.50		
	अहमद नगर नवादा रलाक वं	288 288 288 288 288 288	2			\
	द्योग	X	88 S o	۳. <u>६</u> 0		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	- अहतेर नगर नवावा संशक्त नं ०४	१६६ १६६ २००	६ ४ ० १७ १४ ० १२ २ ० ६ १३ ०			
	बोन	4	हर १३ °	74.50	जातिहरूना	1201र्र
337	कुल योग	\$ 6	505 A 0	900.09	- प्रशास	_ `
	\ .		1		-থা তব	रिंडी म

Assistant Engineer-VI Construction Division-2 P.W.D Ghaziabad

ANNEXURE-III [Project Sanction Letter]

जिलाधिकारी

/ 21-एल0बी०सी० / 2020

गाजियाबाद । दिनांकः *21/10 /* ,2020

अधिशासी अधिकारी. नगर पालिका परिषद,लोनी ।

विषय:-- नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर०सी०सी० नाला निर्माण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2654 / न०पा०परि०-लो०गा० / 2020-21 दिनांक 03.10.2020 का सर्न्दभ ग्रहण करें,जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या 71 / 21-एल0बी० सी० / 2020 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खंड-2, लो०कन०वि० गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आंगणन के सम्बंध में लिखा गया है ।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 05.12. 2019 को विकास कार्यों की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । सी०एंड०डी०एस० उ०प्र० जल निगम गाजियाबाद के आंगणन का परीक्षण, मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद से कराने पर उनकी टिप्पणी दिनांक 27.05.2020 के कम में लोक निर्माण विभाग से कराने पर, लोक निर्माण विभाग की आख्या दिनांक 08.06.2020 के द्वारा सीवएंडoडीoएसo की ्लागत अधिक बताये जाने पर, वित्तीय हस्तपुस्तिका में प्रतिपादित मितव्ययता के सिद्धांतों के अनुसार, राजकीय धन का अपव्यय रोकने के उददेश्य से जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2020 के द्वारा उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग से कराने सम्बंधी निर्देश दिये गये

चूंकि उपरोक्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान की जा चुकी है, अतः यह धनराशि आपके निस्तारण में है, और इस कार्यालय द्वारा किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है । अतः इस प्रकरण में अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करते ह्ये

निर्माण कार्य सुनिष्टिचत कराये ।

अपर जिलाधिकारी(भू०अ०) /. व०प्र०अ०स्थ०नि०

गाजियाबाद ।

ANNEXURE-IV [Standard Conditions]

उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 वन अनुभाग-3, दिनॉक-31-12-1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्ते

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4— भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5— हस्तान्तिरत विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षिति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6- भृमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराये तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
- 7— हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं अन्य वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10— याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
- 11- सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलापइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनॉक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेर-बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करने याचूक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

Assistant Engineer-VI Construction Division-2 P.W.D Ghaziabad

- 12— वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13— वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मृल्य देय होगा।
- 14— हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15— वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16— यदि नहर आदि निर्माण में भू—क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।
- 17— उक्त लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ठ प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18— वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तो का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं, रमेश चंद्रा, सहायक अभियंता, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पी॰ डब्लू॰ डी॰), ग़ाज़िआबाद (उत्तर प्रदेश) यह प्रमाणित करता हूँ, कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पी॰ डब्लू॰ डी॰), ग़ाज़िआबाद को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक 25.02.2021

Y

Assistant Engineer-VI
Construction Division-2 P.W.D
Ghaziabad

रमेश चंद्रा, सहायक अभियंता, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पी॰ डब्लू॰ डी॰), गाज़िआबाद